बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

अनुचित साधन प्रयोग विनियम 2010 (पूरक विनियम 2013)

अनुचित साधन प्रयोग विनियम 2010 में निम्न प्रकार के अनुचित साधन प्रयोग के लिए दंड का प्रावधान नहीं है।

1 छात्र/छात्रा की उत्तर पुस्तिका के अन्तिम (आखिरी) पृष्ठ संख्या या अन्य किसी पृष्ठ पर अनुक्रमांक/किसी चित्र/किसी संकेत (Symbolic Hind) का अंकित होने पर प्रकरण में दण्ड पर विचार।

निर्णय : समिति ने विचारोपरान्त छात्र/छात्रा की उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक/किसी चित्र/किसी संकेत के अंकित होने पर सम्बन्धित वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा निरस्त की जाए किन्तु धार्मिक चिन्ह/मन्त्र/सूक्ति अंकित पाये जाने पर अनुचित साधन प्रयोग में नहीं माना जायेगा।

यदि धार्मिक चिन्ह, मंत्र अथवा युक्ति किसी विशेष पैटर्न में उत्तर पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर इस आशय से लिखा गया हो कि उत्तर पुस्तिका की पहचान हो जाये तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित परीक्षार्थी की संलिप्तता की गहन जांच कर उसकी भूमिका सुनिश्चित करने के उपरान्त परीक्षार्थी की उक्त वर्ष/दो सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जाये।

2 छात्र/छात्रा की उत्तर पुस्तिका में दो तरह की लिखावट (Handwriting) पाये जाने पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त दण्ड पर विचार करना।

निर्णय : छात्र/छात्रा की उत्तर पुस्तिका में दो तरह की लिखावट (Handwriting) पाये जाने पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त सिद्ध होने पर छात्र/छात्रा को दो वर्ष/चार सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने न दिया जाये एवं इस परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया जाये तथा परीक्षार्थी का सदैव के लिये अनर्ह घोषित कर दिया जाय।

इस तरह के कार्य बिना कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष की सहमति के सम्भव नहीं है। अतएव Impersonation (छद्मरूपधारण) का प्रकरण बनता है। ऐसे प्रकरण में परीक्षार्थी, कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष की संलिप्तता पर उनका पक्ष जानने के उपरान्त अभियोजन की कार्यवाही करते हुये आगामी परीक्षा में दण्ड के स्वरूप परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जाये तथा केन्द्र व्यय का भुगतान न किया जाये।

3 उड़न दस्ते (Flying Squed) द्वारा परीक्षा केन्द्र से उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल, इस आशय से प्रेषित करना कि यह सामूहिक नकल का प्रकरण है किन्तु कोई भी आख्या संलग्न नहीं होने पर निर्णय लेने में कठिनाई का निराकरण अपेक्षित है।

निर्णय : उड़न दस्ते (Flying Squed) द्वारा परीक्षा केन्द्र से उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल, इस आशय से प्रेषित करना कि यह सामूहिक नकल का प्रकरण है किन्तु कोई भी आख्या संलग्न नहीं होने पर परीक्षाफल, परीक्षणोपरान्त अनुचित साधन सिद्ध होने पर समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित परीक्षा निरस्त अथवा परीक्षाफल घोषित किया जाये।

4. उत्तर पुस्तिकाओं में नकल सामग्री का संलग्न न होने पर तथा अपेक्षित प्रपत्र अ0गो0 28 का संलग्न न होने पर परन्तु छात्र/छात्रा को उत्तर पुस्तिका को नकल में आरोपित कर केन्द्राध्यक्ष/उड़न दस्ते द्वारा विश्वविद्यालय को यू0एफ0एम0 कमेटी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।

निर्णय : परीक्षणोपरान्त परीक्षाफल निरस्त अथवा घोषित किया जाये।

केन्द्राध्यक्ष अनिवार्य रूप से नकल सामग्री/अपेक्षित प्रपत्र (अतिगोपनीय 28) विश्वविद्यालय में प्रेषित करेंगे चाहे उस पर आरोपित छात्र–छात्रा के हस्ताक्षर हों अथवा नहीं। केन्द्राध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा जाये एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की जाये। उड़न दस्ते की सुरक्षा तथा समयाभाव को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा पकड़ी गई नकल सामग्री के साथ अपेक्षित प्रपत्र (अति0गो0 28) की अनिवार्यता इस शर्त के

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

साथ शिथिल कर दी जाये कि उन्हें इस हेतु दिये गये प्रपत्र के साथ विस्तृत आख्या साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षणोंपरान्त परीक्षाफल निरस्त घोषित किया जाये।

5. नकल में आरोपित छात्र/छात्राओं की अनुचित साधन की उत्तर पुस्तिका के साथ मोबाइल फोन पाये जाने पर विचार।

निर्णय : – मोबाइल फोन पाये जाने पर सम्बन्धित वर्ष की परीक्षा/(दो सेमेस्टर) की परीक्षा निरस्त कर दी जाये।

उड़न दस्ते द्वारा जांच में परीक्षार्थी के पास मोबाइल एवं अत्यधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में वस्तुतः केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा के पूर्व सघन चैकिंग न कर परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति दी होगी, ऐसा मानते हुये केन्द्र व्यय में से कटौती की जाये। साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने पर यू0एफ0एम0 समिति द्वारा जब्त किये गये मोबाइल परीक्षार्थियों को वापस कर दिये जायें।

उड़न दस्ते द्वारा मोबाइल जब्त किये जाने पर भी, केन्द्राध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक अपनी आख्या (अतिगोपनीय 28) पर अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

6. छात्र/छात्रा को नकल में इस आशय से आरोपित करना कि छात्र/छात्रा ने अपनी हथेली (Palm)/बांह(Hand) पर, नकल लिखी है, परन्तु संलग्न नहीं किया है कि हथेली पर क्या विषय वस्तु लिखी थी जिससे कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ द्वारा नकल के सम्बन्ध में कोई आख्या देने में असमर्थता दर्शाई है। अतएव ऐसे प्रकरण पर समुचित दण्ड निर्धारित करने पर विचार।

निर्णय :– छात्र/छात्रा को नकल में इस आशय से आरोपित करना कि छात्र/छात्रा ने अपनी हथेली (Palm)/बांह(Hand) पर, नकल लिखी है, किन्तु कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया है कि हथेली पर क्या विषय वस्तु लिखी थी ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को संदेह का लाभ देकर परीक्षाफल घोषित किया जाये।

भविष्य में उड़न दस्ते द्वारा मोबाइल से नकल में ओरापित छात्र की फोटो निकालेंगे विश्वविद्यालय के रिकार्ड में रहेगी। कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष सप्रमाण निर्धारित प्रपत्र इस हेतु भेजेंगे। परीक्षणोपरान्त, अनुचित साधन समिति वर्णित नियमों के अनुसार दण्ड निर्धारित करेगी।

7. छात्र/छात्रा की अनुचित साधन की उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल, बिना केन्द्राध्यक्ष/उड़ाका दल की आख्या के उड़ाका दल द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में उड़ाका दल को समुचित निर्देश अपेक्षित है।

निर्णय :– उड़ाका दल द्वारा लाई गयी उत्तर पुस्तिाका को परीक्षणोपरान्त सिद्ध होने पर सम्बन्धित परीक्षा निरस्त अथवा परीक्षाफल घोषित किया जाये।

उड़न दस्ते को इस हेतु दिये गये प्रपत्र पर जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

8. अनुचित साधन प्रयोग विनियम 2010 में अनुचित साधन में प्रमाणित छात्रों के लिए निम्न प्रकार दण्ड का प्राविधान है

(अ) यदि छात्र के पास से विषय से सम्बन्धित सामग्री पकड़ी गई और उसके द्वारा उसे प्रयोग नहीं किया है तो छात्र की परीक्षा एक वर्ष के लिए निरस्त की जाये। इस सन्दर्भ में सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्क्रमों में एक सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त करने का प्राविधान अपेक्षित है।

(ब) यदि अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्र के पास विषय से सम्बन्धित सामग्री पकड़ी गई और उसने उस सामग्री का उपयोग किया है या छात्र परिप्रेक्षक/शिक्षक से अभद्रता की है अथवा अनुशासनहीनता की स्थिति में छात्र को अधिकतम दो वर्ष के लिए दण्डित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सेमेस्टर प्रणाली वाले छात्रों के लिए नकल में आरोप सिद्ध होने पर दो वर्ष के स्थान पर दो सेमेस्टर निरस्त कर दिये जायें।

उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिया जा सकता है।

वार्षिक/सेमेस्टर की परीक्षा में नकल में आरोपित छात्र/छात्राओं को दी गई सजा (Quantum of punishment) में एकरूपता/न्याय संगतता/निष्पक्षता रखने हेतु निम्न व्यवस्था की जा सकती है।

Copy
Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

	वार्षिक	सेमेस्टर
नकल सामग्री का प्रयोग नहीं किया, किन्तु सम्बन्धित था	एक वर्ष	यदि विषम सेमेस्टर में पकड़ा जाता है तो विषम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त तथा आगामी सम सेमेस्टर से वंचित। यदि सम सेमेस्टर में पकड़ा जाता है तो सम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त तथा विगत विषम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त
प्रयोग किया, किन्तु सम्बन्धित था	दो वर्ष	यदि विषम सेमेस्टर में पकड़ा जाता है तो विषम सेमेस्टर परीक्षा निरस्त एवं आगामी सेमेस्टर में भी नहीं बैठेगा। * यदि सम सेमेस्टर में पकड़ा जाता है तो सम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त तथा आगामी सेमेस्टर में भी नहीं बैठेगा। *
प्रयोग नहीं किया, एवं सम्बन्धित भी नहीं था		नकल के आरोपों से मुक्त

* उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में एक वर्ष छोड़कर अगले वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति

(स) तीन वर्ष अथवा सदैव के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित।

महाविद्यालय द्वारा अथवा उड़न दस्ता द्वारा छात्र के विरूद्ध गम्भीर तथ्यात्मक साक्ष्य सहित आख्या दिये जाने पर समिति निर्णय कर सकेगी। बैक अथवा स्पेशल बैक की परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर यह सिद्ध होने पर कि नकल सामग्री का प्रयोग किया गया जो विषय से सम्बन्धित भी था, परीक्षार्थी को सदैव के लिए परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा अथवा लघु दण्ड (यथानुरूप) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अधिकतम अवधि से दण्ड की अवधि को घटाते हुए उपरोक्तानुसार* दण्डित किया जायेगा।

1. यदि कोई परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के निर्णय से व्यथित है तो इस स्थिति में वह माननीय कुलपति जी से अपील कर सकता है। अपील निस्तारण हेतु कुलपति जी चाहें तो अन्य एक अपीलिएट समिति का गठन कर सकते हैं।
2. नकल के आरोपित छात्रों की सूची परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा समिति द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
3. विश्वविद्यालय का एक अधिकारी अथवा कुलपति द्वारा नामित शिक्षक सदस्य (जो सहायक कुलसचिव स्तर से कम न हो) परीक्षा एवं गोपनीय चार्ट में सम्बन्धित छात्र के अनुक्रमांक के समक्ष परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व निर्धारित स्थान पर नकल की प्रविष्टि करेगा। ऐसे आरोपित छात्रों का परीक्षाफल तभी घोषित किया जायेगा जब सभी प्रविष्टियां हो जायेगीं।
4. नकल में आरोपित छात्र की सूची अधिसूचित की जायेगी।
5. अनुचित साधन निस्तारण समिति द्वारा जो छात्र निर्दोष अथवा दण्डित किये जायेंगे इसकी अधिसूचना प्रसारित की जायेगी तथा निर्दोष पाये गये छात्रों की अंकतालिकायें अधिसूचना के पश्चात दी जायेंगी।

(द) उड़ाका दल के सदस्यों को निरीक्षण करने के पूर्व यह, स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जायें कि जब भी किसी महाविद्यालय/संस्थान में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए छात्रों को आरोपित किया जाये तो उनकी उत्तर पुस्तिका के साथ अनुचित साधन की सामग्री के साथ प्रपत्र अ0गो0–28 अथवा अपनी सुस्पष्ट आख्या के साथ उत्तर पुस्तिका सील्ड कवर में विश्वविद्यालय भेजने का कष्ट करें।

9. यह नियम अनुमोदन की तिथि से पूर्ववर्ती (Retrospective) प्रभाव से लागू होगा।

(पारस नाथ प्रसाद)
उप कुलसचिव

(प्रो0 अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या बु0वि0/परीक्षा/2013/मेमो

दिनांक : 30/09/2013

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. सहा0 कुलसचिव(परीक्षा/गोप0)
3. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना महाविद्यालय के कालेज लाग इन पर अपलोड करें।
4. कुलपति जी के डी0ई0ओ0 मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. कुलसचिव के आशुलिपिक।
6. सम्बन्धित सहायक कार्यपरिषद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विनियम कार्य परिषद की आगामी बैठक मे कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

उप कुलसचिव

Registrar
Bundelkhand University

English Translation

Bundelkhand University, Jhansi

Use of Unfair Means Regulation 2010 (Supplementary Regulation 2013)

of Unfair Means Regulation 2010 does not provide for punishment in the following types of :s of use of unfair means.

1. In the case of serial number / any picture / any sign (Symbolic/ Hindi) being marked on the last page number or any other page of the student's answer book

   Decision: After consideration, the committee has decided that the examination of the concerned year / semester shall be canceled if the roll number / any picture / any sign is written on the student's answer book, but if the religious symbol / mantra is found, it is not considered to be in use of unfair means.

   If religious symbols, mantras or phrase have been written in a particular pattern at different places in the answer book with the intention that the answer book can be identified, then in such a situation, after ascertaining the involvement of the concerned candidate, after ascertaining his/her role, same year/two Semester exams shall be cancelled.

2. To consider the punishment after necessary investigation if two types of handwriting are found in the student's answer book.

   Decision: If two types of handwriting are found in the student's answer book, the student shall not be allowed to appear in the examination for two years / four semesters, and the result of his/her examination shall be canceled and the candidate be banned forever.

   Such work is not allowed without the consent of the room invigilator and the center superintendent. Therefore, a case of Impersonation is made. In such a case, after knowing the stand on the involvement of the invigilator and the center superintendent, the examination center shall be canceled in the upcoming examination as a punishment and the center expenses shall not be paid.

3. Sending bundles of answer books from the examination center by Flying Squad with the intention that it is a case of mass copying, but if no report is attached, the difficulty in decision-making is expected to be resolved.

   Decision: Flying Squad to send a bundle of answer books from the examination center with the intention that it is a case of mass copying, but if no report is attached, the related examination shall be conducted on the basis of the decision of the

Appd
21/7/2022
Registrar
Bundelkhand University

committee if the result is proved to be an unfair means after the test. Canceled or the result shall be declared.

On non-attachment of cheating material in the answer books and on non-attachment of the requisite form अoगोo 28, but by accusing the student of copying the answer book, the center superintendent/flying squad to forward to the university for punitive action by the UFM committee.

Decision: After the evaluation, the result of the examination shall be canceled or declared.

Center Superintendent shall compulsorily send the cheating material/required form (अoगोo 28) to the University, whether or not the signature of the accused student is there, clarification shall be sought from the Center Superintendent and action shall be recommended against them. Keeping in mind the security of flying squad and time constraint, necessity of the requisite form (अoगोo 28) along with the cheating material caught by them, It shall be relaxed that they will have to submit a detailed report along with the evidence along with the question given for his/her, the result shall be declared canceled after the test.

To consider the case if mobile phones along with answer sheets of the accused students through unfair means is found

Decision: If mobile phone is found, examination of same year/ two semesters shall be repealed.

In the investigation by the flying squad, if the examinee had mobile and excessive quantity of cash, it means the center Superintendent would have given permission for admission to the examination without intensive checking before the examination, considering that the expenses of the centers shall be curtailed and also after the completion of the proceedings, the mobiles seized by the UFM committee shall be returned to the examinees.

Even after the mobile was seized by the flying squad, the center Superintendent and the invigilator shall send their compulsory statement (अoगोo 28) to the University.

Accusing the student of copying with the intention that the student has written on his/her palm/hand, but has not attached what subject matter was written on it, due to which the subject expert nominated by the Vice-Chancellor has shown his/her inability to give any report in relation to copying, therefore considering appropriate punishment in such a case.

Decision: - Accusing the student in copying with the intention that the student wrote on his/her palm / hand, but no evidence has been attached what the subject matter was written on the palm. In such a situation, the result shall be declared by giving benefit of doubt to the student.

Registrar
Bundelkhand University

In future, the photograph of the accused student shall be taken out by the flying squad and shall remain in the records of the university. The invigilator / Center Superintendent shall send the prescribed proof for this. After the evaluation, the Unfair Means Committee shall decide the punishment according to the rules mentioned.

Appropriate instructions are required to the flying team regarding sending the evidenceof students' unfair means to the university by the flying team without the report of the Center Superintendent/ flying team.

Decision: -After the evaluation, on proving the answer book brought by the flyingsquad, the related examination shall be canceled or the result shall be declared.

The flying squad shall have to provide information on the prescribed form given for this purpose.

In 'Use of Unfair Mean Regulation 2010', there is a provision of punishment for the students accused in unfair means as follows

(A) If the material related to the subject is caught from the student and he has not used it, then the examination of the student shall be suspended for one year. In this context, a provision is required to cancel the examination of one semester in courses having semester system.

(B) If a student accused of using unfair means is caught with material related to the subject and has used that material or misbehaved with the invigilator/ teacher or in case of indiscipline, the student shall be punished for a maximum of two years. In this regard, for the students of semester system, two semesters shall be canceled instead of twoyear if the allegation of cheating is proved.

Registrar
Bundelkhand University

In this context the following decisions can be taken.

The following arrangements can be made to keep uniformity in the quantum of punishment given to the students accused of cheating in the Annual/semester examination.

	Yearly	Semester
Didn't used the cheating material, but material was related	1 Year	If caught in odd semester, then debarred in that odd semester and next even semester exam canceled. If caught in the even semester exam then even semester exam canceled and previous odd semester exam canceled.
Material used andmaterial was related	2 Year	If caught in odd semester then odd semester exam Canceled and will not sit in the upcoming semester.* If caught in the even semester, then the examination of the even semester shall be canceled and shall not sit in the next semester also.*
Didn't used the cheating material, and material was not related		Acquitted of Use of Unfair Means

* Permission to sit in the semester examination of the next year leaving one year under the above circumstances only.

(C) Debarred from university examination for three years or forever.

The committee shall be able to decide to take action against the student on the basis of the report given by the college or flying squads along with serious factual evidence. Caught cheating in back or special back examinations, and upon proving that the copying material was related to the subject; the candidate shall be debarred from the examination forever or short duration punishment shall be imposed (as per the rules). The duration of punishment shall be equal to the maximum period of course duration minus the punishment duration.

1. If any candidate is aggrieved by the decision of the University, then in this situation he can appeal to the Hon'ble Vice Chancellor. If the Vice-Chancellor wishes, he can constitute another committee for disposal of the appeal.
2. The list of accused students shall be presented in front of the examination committee and the committee shall approve it.
3. An officer of the University or a teacher member nominated by the Vice-Chancellor (who is not below the level of Assistant Registrar) shall make an entry of using unfair means against the roll number of the concerned student in the examination and confidential chart before the declaration of the result. The result of such accused students shall be declared when all the entries are done.
4. The list of accused students shall be notified.
5. The students who shall be found innocent or punished by the Unfair Means Disposal Committee, the notification shall be circulated and the mark sheets

Registrar
Bundelkhand University

of the students found innocent shall be published and given after the notification.

(D) Clear instructions shall be given to the members of the flying squad that whenever students are accused of using unfair means in any college/institute, a form(अ०गो०28) with the content of unfair means along with their answer book should be submitted or send the answer book in sealed envelope to the university with its clear explanation.

9. This rule shall be applicable with retrospective effect from the date of adoption.

(Paras Nath Prasad)

Deputy Registrar

(Prof. Avinash Chandra Pandey)

Vice Chancellor

Page No. BU/Examination/2013/Memo

Date: 30/09/2013

Copy - Sent to the following for information and necessary action.

1. Principal, All Affiliated Colleges
2. Assistant Registrar (Examination / Confidential)
3. Dr. Deepak Tomar, System Analyst with the intention that the above information should be uploaded on the login of the college.
4. The DEO of the Vice Chancellor for the perusal of the Vice Chancellor.
5. Stenographer to the Registrar
6. Sent to the concerned Assistant of Executive Council with the intention that the said regulations should be presented for the approval of the Executive Council in the next meeting of the Executive Council.

Registrar
Bundelkhand University